61 छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002

[1]नियम

अधिसूचना क्रमांक एफ-20-2/2002/(छ:)/11 दिनांक 7 जनवरी, 2003 — राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002" जारी करता है।

नियम 1. (1) ये नियम "**छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002**" कहलायेंगे।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने के दिनांक से लागू होंगे।

नियम प्रसारण का उद्देश्य

(अ) राज्य शासन के विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सके;

(ब) राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके;

(स) स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले; तथा

(द) यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता समान होने की दशा में सामग्रियाँ क्रय करने में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता मिले।

नियम 2. भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत शासकीय क्रय का आशय शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री से है।

[2][2.1. समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे।]

---

1. ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 15 जनवरी, 2003 को पृष्ठ 25 से 26 (12) पर प्रकाशित तथा 1 दिसम्बर , 2002 से लागू।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के क्रमांक एफ-20-70/2004/11/(6), दिनांक 3-9-2004 द्वारा इन नियमों में जोड़ा गया है (दिनांक 3-9-2004 से प्रभावी) —
   टिप्पणी — इस अध्याय में 'भंडार' शब्द से आशय सामान्यत: उन सब वस्तुओं एवं पदार्थों से हैं जो विभाग द्वारा विभाग में उपयोग हेतु क्रय अथवा अर्जित किये जाते हैं परन्तु इनमें केवल वह वस्तुयें तथा पदार्थ ही सम्मिलित नहीं है जो खपत निगमित अथवा विशिष्ट प्रयोजन के लिये एकत्रित होते हैं परन्तु इनमें प्लांट, मशीन इन्स्ट्रूमेन्ट, फर्नीचर इक्वीपमेंट तथा फिक्चर की तरह के पदार्थ भी सम्मिलित हैं।"

नियम 3. ऐसी वस्तुएँ जो परिशिष्ट 1 में उल्लेखित हैं, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत सीधे किया जा सकेगा। अन्य वस्तुएँ जो परिशिष्ट 1 में उल्लिखित नहीं हैं, का क्रय संबंधित विभाग नियम 4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे।

[1][परन्तु परिशिष्ठ-1 में अंकित वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियाँ भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा यथा रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा।]

[1][परन्तु शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मण्डलों, जिला एवं जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री के क्रय संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा कर भण्डार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट-3 जारी किया जायेगा।]

नियम 4. शासकीय क्रय सामान्यत: निविदा के माध्यम से किया जावेगा। निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी —

4.1 निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय की जाने वाली सामग्री का मापदंड तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4.2 निविदा की शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।

4.3 *निविदा बुलाने की प्रक्रियाएँ—*

[2]4.3.1 **एकल निविदा पद्धति** — ऐसी एकल वस्तु जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietory Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात् एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परन्तु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता [3][रुपये 10,000] से अधिक की न हो।

---

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6), दिनांक 5-7-2017 द्वारा अन्त:स्थापित (दिनांक 5-7-2017 से प्रभावी)।
2. यह नियम केवल उन्हीं स्थिति में लागू होंगे जहाँ क्रय किसी ऐसी वस्तु का किया जाना है तो स्वत्वधारी प्रकृति की है, अर्थात् जिसके बनाने व बेचने के अधिकार सुरक्षित हैं। जैसे कोई दवा जिसे केवल एक ही कंपनी बनाती है तथा विक्रय करती है। ऐसे मामले में केवल भावपत्र लेकर क्रय किया जा सकता है। ऐसे क्रय में प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही नहीं उठता।
3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6), दिनांक 5-7-2017 द्वारा "रुपये 5,000" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 5-7-2017 से प्रभावी)।

Jul 14, 2023

[1]4.3.2 **सीमित निविदा पद्धति** — साधारणत: ऐसे सभी आदेशों के राशि [2][रुपये 10,001 से 1,00,000] तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिये यदि ज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इसलिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

[3][परन्तु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय क्रेता विभाग आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण, विक्रेता की साख एवं एल 1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।]

4.3.3 **खुली निविदा पद्धति** — इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे —

जहाँ निविदा का अनुमानित मूल्य —

(i)	[4][रुपये 1,00,001 से 2.00 लाख] तक हो	स्थानीय स्तर के बहुप्रसारित एक समाचार पत्र में
(ii)	रुपये 2.00 लाख से अधिक तथा रुपये 10.00 लाख तक हो	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में

1. इस पद्धति के अंतर्गत क्रय अधिकारी चाहें तो निर्माताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों (प्रदायकर्ता फर्मों) की अद्यतन एक सूची रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सीधे उनसे पत्राचार किया जा सके। निर्माताओं/प्रदायकर्ताओं से उनकी सक्षमता की जाँच पड़ताल कर उन्हें प्रदायकर्ताओं की सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिये उनसे कहा जा सकता है। डी.जी.एस. एण्ड डी. से भी प्रदायकर्ताओं के नाम पते प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6), दिनांक 5-7-2017 द्वारा "रुपये 5,001 से 50,000" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 5-7-2017 से प्रभावी)।
3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6), दिनांक 5-7-2017 द्वारा अन्त:स्थापित (दिनांक 5-7-2017 से प्रभावी)।
4. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6), दिनांक 5-7-2017 द्वारा "रुपये 50,001 से 2.00 लाख" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 5-7-2017 से प्रभावी)।

(iii)	रुपये 10.00 लाख से अधिक तथा रुपये 20.00 लाख तक हो	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में
(iv)	रुपये 20.00 लाख से अधिक	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इंटरनेट पर की जा सकेगी।

[1][परन्तु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध ई-बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स आक्शन (Reverse auction) प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा।]

4.4 **निविदा विज्ञप्ति** — निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि मितव्ययिता बनी रहे। क्रय की अन्य शर्तें टेण्डर फार्म के साथ दी जा सकती हैं।

4.4.1 **निविदा सूचना के लिए विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारण** — निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए, इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी का उल्लेख विज्ञापन में होना आवश्यक है। जहां तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती हैं। किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिये लम्बे-लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।

4.4.2 **निविदा-सूचना का प्रारूप** — इस हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

4.4.3 बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

4.5 **निविदा हेतु समय-सीमा निम्नानुसार होगी** —

सीमित निविदा पद्धति	15 दिन
खुली निविदा (रु. 50,000 से अधिक रु. 10 लाख तक)	21 दिन
खुली निविदा (रु. 10 लाख से अधिक के लिये)	30 दिन

---

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6), दिनांक 5-7-2017 द्वारा अन्त:स्थापित (दिनांक 5-7-2017 से प्रभावी)।

ग्लोबल निविदा 45 दिन

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी।

4.6 निविदा प्राप्ति की पद्धति —

4.6.1 निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी. एण्ड टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी अथवा निर्धारित टेण्डर बॉक्स में डाली जाएगी।

4.6.2 रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएँ निर्धारित अंतिम तिथि के कार्यालयीन समय में 03.00 बजे अपरान्ह तक ही प्राप्त की जाएगी तथा इसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जायेगा।

4.6.3 निविदा खोलने का समय, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय के एक घंटे पश्चात् अर्थात् उसी दिन 4.00 बजे अपरान्ह रखा जाएगा।

4.6.4 निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा। एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र, तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे निविदा पत्र वाले का खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।

4.6.5 जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होंगी, वह नहीं खोली जाएंगी तथा वापस लौटा दी जाएंगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बन्द लिफाफे पर निविदा लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा।

4.7 सुरक्षा निधि — केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्में ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकें, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य की कम से कम 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर, शेष की 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए। प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत हैं तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जाये। इकाइयों द्वारा इस आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ देने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।

4.8 सुरक्षा निधि के प्रकार — सुरक्षा निधि की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा। निविदाकार को यह सुरक्षा निधि चालान से निम्न लेखा शीर्ष में

शासकीय खजाने में/उप खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहाँ शासकीय नगदी लेन-देन का कारोबार किया जाता है, जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करें —

"8443-सिविल जमा राशियां 103-प्रतिभूति जमा" — निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर **भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों** के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है।

राज्य शासन आदेश

राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित) के नियम 16 में वर्णित अधिकारिता से छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी को उनके आग्रह दिनांक 29-9-2011 के परिप्रेक्ष्य में भण्डार क्रय नियम, 2002 के नियम 4.8 में वर्णित सुरक्षा निधि के रुप में चालान, डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद प्रतिभूति के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंको के द्वारा जारी "**बैंक गारण्टी**" के रुप में भी प्राप्त किये जाने हेतु शिथिलता प्रदान की जाती है।

उक्त संशोधन आदेश जारी होने दिनांक से प्रभावी माना जावेगा।

[वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्र. एफ 20-70/2004/11/6 पार्ट, दिनांक 12-10-2011]

4.9 क्रय की शर्तें — क्रय की शर्तें स्पष्ट होना चाहिये ताकि उसका अलग-अलग अर्थ लगाया न जाकर विवाद की स्थिति निर्मित होने से बचा जा सके। क्रय केवल वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत फर्मों से ही किया जाए ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बने। शर्तों में एक शर्त यह भी जोड़ी जावे कि वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण-पत्र, जहां पर वाणिज्यिक कर पंजीयन आवश्यक हो, की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न की जावे।इसके अलावा फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, इस आशय का आयकर समाशोधन प्रमाण-पत्र, जहां आवश्यक हो, लिया जावे। यह शर्त भी जोड़ी जावे कि प्रदायकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से वह विभिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा। दरों में करों का स्पष्ट उल्लेख हो। माल प्रदाय का स्थान भी स्पष्ट दर्शित हो। इसके अतिरिक्त क्रय अधिकारी, मितव्ययिता को ध्यान में रखकर शासन हित में जो भी शर्त लगाना उचित समझे लगा सकता है।

[1][4.9.1 पूर्व में जारी संशोधन आदेश क्रमांक एफ-20-15/2003/11/(6), दिनांक 18-09-2003 को निरस्त किया जाता है एवं दर निर्धारण हेतु

1. नियम 4.9.1 अधिसूचना क्रमांक एफ. 20-70/2004/11/(6) दिनांक 3-9-2004 द्वारा नियमों में जोड़ा गया और इन नियमों का भाग बन गया (दिनांक 3-9-2004 से प्रभावी)।

निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी —
राज्य के बाहर स्थित निविदाकारों द्वारा दी गई दरों की तुलना राज्य में वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निविदाकारों द्वारा दी गई दरों में छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर को छोड़कर की जाए। दर निर्धारण की इस प्रक्रिया का उल्लेख क्रेता विभाग द्वारा जारी निविदा या निविदा फार्म में किया जाए।]

4.10 **नमूना लिया जाना** — उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रदाय की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जावे। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रदायकर्ता अपनी वस्तु का प्रदर्शन भी कर सकता है। यदि यह भी संभव नहीं हो तो करार में यह शर्त जोड़ी जावे कि वस्तु के निर्माण के समय निर्माण स्थल में निरीक्षण करने का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।

4.11 **निविदाओं को खोलना** — उपरोक्तानुसार यदि खुले बाजार से निविदा आमंत्रित की गई है, तो प्राप्त निविदाएं एक क्रय समिति के समक्ष खोली जावें। निविदाएं खोलते समय प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं जो प्रतिनिधि उपस्थित हों उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जावें।
समिति के सभी सदस्य प्राप्त निविदाओं पर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे, साथ ही साथ तुलनात्मक प्रपत्र बनाकर उस पर भी सभी के हस्ताक्षर लिये जावें। बाद में क्रय की अनुशंसा हेतु यही सब अभिलेख क्रय समिति के समक्ष रखा जाए।

4.12 **क्रय समिति का गठन** — प्रत्येक कार्यालय में जहां प्रतिवर्ष रु. 50,000/- या इससे अधिक का क्रय किया जाता है, एक क्रय समिति बनायी जावे। क्रय समिति में विभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को सदस्य के रूप में अनिवार्यत: सम्मिलित हो। इस समिति में कितने सदस्य हो इसके लिये सक्षम अधिकारी स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, किन्तु समिति में ऐसे अधिकारियों को अवश्य सम्मिलित किया जाए जो क्रय की जाने वाली वस्तु का तकनीकी ज्ञान रखते हों। क्रय समिति मूल्य एवं वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा करेगी। सामान्यत: क्रय समिति की अनुशंसा पर ही क्रय किया जावे परंतु यह आवश्यक नहीं है कि क्रेता अधिकारी, समिति की अनुशंसा को मान्य करे। यदि वह अन्यथा निर्णय लेता है तो उसके द्वारा ऐसा करने के कारण लिपिबद्ध किये जायेंगे।
स्वीकृति हेतु निविदा का चयन करते समय, निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं फर्मों की वित्तीय स्थिति, तकनीक, कार्यानुभव आदि को विचार में लिया

जाये। जब निम्नतम निविदा स्वीकार नहीं की जाए तो ऐसा न करने के कारणों को लिखित में अंकित किया जाए। यदि निविदा सूचना प्रसारित करने के पश्चात् यह आभास हो कि अपर्याप्त विज्ञप्ति अथवा अन्य कारणों से पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, तो पुन: निविदा बुलाई जावे तथा ऐसे प्रयत्न किया जाए ताकि निविदा की सूचना सम्भावित समस्त निविदाकारों को पहुंच सके।

[1]**4.13 प्रदाय आदेश जारी करना** — क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्रेता अधिकारी को चाहिए कि वह उसका बारीकी से परीक्षण करे। यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है। उसको यह भी समाधान कर लेना चाहिए कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है, के बारे में यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि, उसके पास कार्य का पर्याप्त ज्ञान है, वित्तीय दृष्टि से वह सुदृढ़ है, भंडारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। वह चाहे तो निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के समय वस्तु का निरीक्षण भी कर सकता है; इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है। वस्तुएं इस शर्त पर क्रय की जावेंगी कि उनका प्रदाय, क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा। प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जाए, **जिससे वह एक नियत समायावधि के अन्दर एवं नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप प्रदाय हेतु बाध्य हो।** करार में अन्य शर्तों के अलावा यह शर्त भी जोड़ी जाए कि नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप वस्तु प्राप्त नहीं होने की दशा में, प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर, उसे वापस ले जाना होगा। करारनामा में निर्धारित अवधि के अन्दर यदि माल प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा **2% प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ** समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी। शर्तें सभी स्पष्ट होनी चाहिए जिससे उनके दो अर्थ नहीं निकाले जा सकें। यह करारनामा **स्टाम्प पेपर पर** हो और करार विधिवत् निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जावे।

---

1. नियम 4.13 के अन्तर्गत प्रदाय आदेश कौन जारी कर सकता है और प्रदाय फर्म के साथ कौन करार कर सकता है इसके उत्तर में देखिये वित्त संहिता 1 के नियम 20 जिसके अनुसार वह अधिकारी सक्षम होंगे जिसे राज्य शासन द्वारा अथवा उसे आदेशों के अधीन प्राधिकृत किया गया हो।
वित्त अधिकार 1 एवं 2 में विभिन्न स्तरों को अधिकृत किया गया है, इन अधिकारों के अनुसार ही अनुमति प्रदाय की जायेगी। जो पदाधिकारी स्वीकृति के लिए सक्षम है वही करार पर हस्ताक्षर कर सकता है।

14, 2021, 12:18

4.14 पुनरावृत्ति आदेश (Repeat order) को मूल आदेश, के विरूद्ध लिया जा सकता है, किन्तु —

(1) किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के एक वर्ष के बाद नहीं दिया जायेगा।

(2) यदि मूल आदेश अत्यावश्यक हो या आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु दिया गया हो तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जायेगा।

(3) पुनरावृत्ति आदेश मूल आदेश की मात्रा के 25% से अधिक का नहीं होगा।

नियम 5. महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीनें केवल उन्हीं फर्मों से प्राप्त की जायेंगी, जिनका नाम डी.जी.एस. एंड डी. द्वारा पंजीकृत हो अथवा जिनका नाम समय-समय पर उनके द्वारा जारी सूची में सम्मिलित किया गया हो।

5.1 ऐसे भी प्रकरण हो सकते हैं जिनमें ऐसी फर्मों से निविदाएं प्राप्त हुई हों, जिनका नाम पंजीयन सूची में न हो। यह निविदा प्रथम दृष्ट्या संतोषप्रद है, तो उसे निरस्त नहीं किया जाएगा। अपितु इस संबंध में डी.जी.एस.एंड डी. से फर्म की दक्षता एवं स्तर के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जायेंगी।

5.2 क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा सभी वस्तुयें निरीक्षण की शर्त पर स्वीकार किये जायेंगे।

नियम 6. विदेशों से क्रय — ऐसी वस्तुएं जो देश में निर्मित नहीं होती हैं अथवा उन्नत तकनीकी की हैं, उन्हें विदेशों से क्रय/आयात किया जा सकेगा। यह क्रय/आयात भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से ''ग्लोबल टेण्डर'' बुलाकर क्रय किया जा सकेगा।

नियम 7. जैसा कि नियम 3 में उल्लेखित है छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) परिशिष्ट-1 के अनुसार वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाइयों से किया जा सकेगा। दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये कार्पोरेशन द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी।

7.1 सी.एस. आई.डी.सी. के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रदायकर्ता इकाईयों का पंजीयन किया जायेगा। अंतरिम व्यवस्था के रूप में पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने तक डी.जी.एस. एंड डी. एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जायेगा।

7.2 निविदा के माध्यम से वस्तुओं के दर निर्धारण नियम 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किया जावेगा। इस हेतु पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जावेगा तथा तद्नुसार सूची प्रकाशित की जायेगी।

7.3 सामान्यत: सामग्रियों की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होंगी।

7.4 सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा सभी वस्तुओं के मानक मापदंडों का निर्धारण करेगा। जिसमें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जायेगा तथा इसके लिये विशेषज्ञों की सहायता लेगा।

7.5 सी.एस.आई.डी.सी. परिशिष्ट-1 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत् समीक्षा करेगा।

राज्य शासन आदेश

विषय — भण्डार क्रय नियम 2002 के तहत अंतरिम विपणन व्यवस्था।

राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-20-02/2002/(छ:)/11 दिनांक 7-1-2003 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 के नियम 7 के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) का विपणन प्रभाग (परिशिष्ट-1) में उल्लेखित वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों एवं शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा।

चूंकि इस प्रक्रिया में सीएसआईडीसी (विपणन विभाग) को दर निर्धारण में कुछ समय लगने की संभावना है। अत: राज्य शासन ने निम्न अंतरिम व्यवस्था निर्धारित की है, जो सीएसआईडीसी द्वारा दर निर्धारण (रेट कान्ट्रेक्ट) होने तक मान्य होगा —

1. शासकीय विभागों द्वारा डी.जी.एस. एंड डी. व मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के वर्तमान दरों में जो भी कम हो, उसे मान्य कर सीधे क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक तक डी.जी.एस. एंड डी.एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योग, औद्योगिक इकाईयों से ही क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।
3. सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा। प्राप्त किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे। विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा।
4. निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियाँ महालेखाकार कार्यालय को भेजना - वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराए गए कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें। अत: रुपये 1 लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएंगी।

5. सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियाँ क्रय करने में ऐसे उद्योगों को यथासंभव प्राथमिकता मिले।
6. अन्य बातें समान रहने पर आई.एस.आई. तथा आईएसओ 9000 प्रमाण-पत्र प्राप्त इकाईयों को प्रदाय आदेश देने में प्राथमिकता दी जावेगी।
7. शासकीय विभागों के विभाग प्रमुख स्तर पर सामग्री के क्रय हेतु क्रय समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) के अधिकारी भी सदस्य के रूप में रहेंगे तथा प्रदायकर्ता के चयन का निर्णय इस क्रय समिति द्वारा किया जायेगा।
8. सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) द्वारा सामग्री विशेष की दर जारी दिनांक से यह उस सामग्री के लिए अंतरिम व्यवस्था स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

[वाणिज्य एवं उद्योग एवं सा.उ.वि. क्र. एफ-20-02/2002/(छ:)/11, दिनांक 14-1-2003]

[1][**नियम 8.** भण्डार क्रय नियम 8 के तहत समस्त विभागों द्वारा हैण्डलूम तथा हैण्डीक्राफ्ट सामग्री का क्रय आदेश ''छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर'' एवं ''छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर'' को ही प्रदान किया जाये। ऐसी सामग्रियों के क्रय हेतु क्रय अधिकारियों द्वारा पृथक् से निविदा नहीं बुलाई जावेगी। समस्त शासकीय विभाग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा उत्पादित सामग्रियों से ही करेंगे। यदि किसी कारणवश कोई विभाग इस प्रक्रिया से छूट चाहता है तो उसे ग्रामोद्योग विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।]

[2][8.1 ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाईयों तथा महिला एवं बाल विकास व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित हैण्डलूम तथा हैण्डीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय शासकीय कार्यालयों द्वारा सीधे इन इकाईयों/समूहों से किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

8.2 छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित बेलमेटल लौह, काष्ठ, बाँस, शीशल, कौड़ी आदि शिल्प सामग्रियों तथा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों,

---

1. नियम 8 अधिसूचना क्रमांक 20-70/2004/11(6) दिनांक 3-9-2006 पूर्व नियम 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 3-9-2004 से प्रभावी)।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.20-15/2003/11(6), दिनांक 18-9-2003 द्वारा इन नियमों में जोड़ा गया तथा अधिसूचना दिनांक से ही प्रभावशील हुआ। छत्तीसगढ़ राजपत्र दि. 3-10-2003 पृ. 2227-2227 पर प्रकाशित।

कार्यालयों एवं विश्राम गृहों में उपयोग होने वाली ऐसी स्टेशनरी एवं सजावटी सामग्री ग्रामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ से क्रय करने हेतु पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।]

[1][8.3 यदि राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित विभागीय निर्माण इकाईयां सामग्री विशेष का निर्माण करती हैं तो ऐसी निर्माणकर्ता इकाई से सामग्री विशेष का क्रय किया जा सकेगा जिसके लिये पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।]

राज्य शासन आदेश

विषय — शासकीय विभागों एवं उपक्रमों के उपयोग हेतु वस्त्र तथा रेडिमेड गारमेन्ट्स के क्रय करने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ शासन के संदर्भित ग्रामोद्योग विभाग के पत्र क्र. एफ-15/2003/(6) 52, दिनांक 1-9-2003 एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का परिपत्र क्र. एफ-20-20/2004(11), दिनांक 4-8-2004 द्वारा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में लगने वाले वस्त्रों एवं रेडिमेड गारमेन्ट्स के क्रय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. एवं छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, को नोडल एजेंसी अधिकृत किया गया है। विभागों को क्रय आदेश के विरुद्ध 75 प्रतिशत अग्रिम संचालक, ग्रामोद्योग के नाम ड्राफ्टस् देना है। शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय शासकीय विभागों द्वारा उपर्युक्त अधिकृत नोडल एजेंसी से वस्त्र क्रय न करते हुए अन्य संस्थाओं से वस्त्र एवं रेडिमेड गारमेन्ट्स क्रय किए जा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।

अत: नोडल एजेंसियों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या., डी-60, सेक्टर 03, देवेन्द्र नगर रायपुर एवं छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पण्डरी, रायपुर के अतिरिक्त यदि अन्य संस्थाओं से, बिना ग्रामोद्योग विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के वस्त्र क्रय किये जाते हैं तो उनके देयकों का भुगतान न किया जाये। साथ ही, 75 प्रतिशत संचालक, ग्रामोद्योग के नाम से क्रय हेतु अग्रिम दिया जाना है। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

[वित्त विभाग क्र. 8/681/2004/ब-1/चार, दिनांक 11-8-2004]

विषय — भण्डार क्रय नियमों का पालन करने बाबत्।

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इस विभाग के ज्ञापन क्र. 5/1/82/11/व, दिनांक 25-7-84 के द्वारा भण्डार क्रय के नियम 14-ए एवं 14-बी के तहत उल्लेखित वस्तुओं की खरीदी म.प्र.राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित,म.प्र.राज्य वस्त्र निगम एवं म.प्र.राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ के माध्यम , से की जाना अनिवार्य किया है किन्तु

1. अधिसूचना एफ/20-70/2004/11 (6) दिनांक 3-9-2004 द्वारा जोड़ा गया।

विभागों द्वारा इस पर किसी भी तरह का अमल नहीं हो पा रहा है। राज्य शासन ने बुनकरों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उनके द्वारा उत्पादित माल की सही ढंग से बिक्री हो सके, उक्त संस्थाओं द्वारा क्रय किये जाने का आदेश दिया था। उक्त संस्थाओं द्वारा शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली मांग को दृष्टिगत रखते हुये भारी मात्रा में कपड़ों का उत्पादन करवा लिया है जो उन समितियों की पूरी पूँजी इस उत्पादित माल में लग गई है। म. प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति की वहुत वड़ी धनराशि भी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के क्रय किये गये माल में लगी हुई है। अत: उक्त परिस्थितियों को देखते हुये भंडार क्रय नियम के अनुसार शासकीय विभागों में लगने वाला कपड़ा एवं अन्य सामग्री उक्त संस्थाओं से ही क्रय किया जावे ताकि प्रदेश में वुनकरों को सहायता मिल सके।

उपरोक्त स्थिति में आप से निवेदन है कि भंडार क्रय नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिये अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

[म.प्र. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्र. 10221/545/1/11/ब, दिनांक 8-10-1985]

नियम 9. इन नियमों के अधीन शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग/उपक्रम से क्रय किया जाना वर्जित नहीं है। ऐसा क्रय मूल दरों पर ही होगा।

नियम 10. प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा वुलाये ही, अत्यावश्यकता की प्रकृति को अभिलिखित करते हुए सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

नियम 11. सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा। प्राप्त किये जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे। विभागों को माल एवं विल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान में अकारण विलंव होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा।

नियम 12. निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियाँ महालेखाकार कार्यालय को भेजना — वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुवंधों की जांच करें। अत: रुपये एक लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएंगी।

राज्य शासन आदेश

संविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियाँ भेजना

विषय पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, म.प्र. ग्वालियर से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक कास/विविध/ग्रुप-III/डी.आई./257, दिनांक 9-1-89 की प्रतिलिपि संलग्न है। मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग 1 के नियम 21 (12) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है

कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिये संविदा एवं अनुबंधों की वह जांच करे। इस जाँच को करने के लिये महालेखाकार ने चाहा है कि एक लाख रुपये या उससे अधिक के उपबंधों की प्रतियाँ उन्हें समय पर उपलब्ध कराई जावें।

2. राज्य शासन चाहता है कि वित्त संहिता भाग 1 में इस बाबत् किये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जावे। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्न- एक।

[वित्त विभाग क्र. 553/976/नि.5/चार/89, दिनांक 6-10-1989]

म.प्र. वित्त संहिता भाग 1 के नियम 21(12) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिये संविदा एवं अनुबंधों की वह जाँच करे। इस जाँच को पूरा करने के लिये आवश्यक है कि एक लाख रुपये या उससे अधिक के उपबंधों की प्रतियाँ शासन एवं विभाग तत्काल ऑडिट को भेजा करे। विभागाध्यक्षों को एक लाख से कम रकम के अनुबंधों की सूची महालेखाकार कार्यालय को 10 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी को भेजनी होती है। इन सूचियों के आधार पर चयनित संविदाओं की प्रतियाँ फिर जाँच हेतु लेखा परीक्षा में बुलाई जाती हैं।

प्राय: यह देखा गया है कि बार-बार लिखने के पश्चात् भी संविदा एवं अनुबंध की प्रतियाँ/सूचियाँ लेखा परीक्षा को प्रदाय नहीं की गई है, जिससे उनकी जाँच केन्द्रीय लेखा में होना शेष रह जाती है। इस स्थिति से अवगत कराते हुए निवेदन है कि संविदा एवं अनुबंध की प्रतियाँ/सूचियाँ शासन एवं प्रत्येक विभाग से अतिशीघ्र भिजवाने के निर्देश जारी किये जाएँ एवं उन आदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रदाय करने की कृपा करें।

[महालेखाकार (लेखा परीक्षा) म.प्र. ज्ञापन क्र. कास/विविध/ग्रुप-III/डी.आई./257, दिनांक 9-1-1989]

इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन क्र. 553/9762/नि-5/चार/89, दिनांक 6-10-89 द्वारा अनुरोध किया गया है कि रुपये एक लाख से ऊपर की संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियाँ महालेखाकार को भेजी जावें।

2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर द्वारा सूचित किया गया है कि संदर्भित शासनादेश के बावजूद भी एक लाख से ऊपर के संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियाँ अभी भी उन्हें नहीं भेजी जा रही है।

3. संविदा भुगतान देयकों की लेखा परीक्षा, तभी कारगर रूप से की जा सकती है, जब भुगतान के देयकों के अनुबंधों की प्रतियां महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर को नियमित तथा निश्चित रूप से भेजी जावें।

4. अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि रुपये एक लाख से ऊपर की संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियाँ नियमित एवं अनिवार्य रूप से महालेखाकार (ऑडिट) प्रथम/द्वितीय को भेजी जायें। यदि वर्ष के दौरान ऐसे अनुबंध नहीं किये गये हों तो भी ''निरंक'' जानकारी भेजी जाये।

[वित्त विभाग क्रमांक 94/108/नि-5/चार/91, दिनांक 4-3-1991]

Jul 14, 2021, 12:19

उपरोक्त विषय में इस विभाग द्वारा प्रसारित संदर्भित ज्ञापन क्र. 553/9762/नि-5/चार/89, दिनांक 6-10-89 एवं क्र. 94/108/नि-5/चार/91, दिनांक 4-3-1991 में समस्त विभागों से यह निवेदन किया गया था कि एक लाख रुपये या उससे ऊपर की संविदा एवं अनुबंध की प्रतियाँ महालेखाकार को नियमित एवं निश्चित रूप से भेजी जाया करें, परन्तु विभागों द्वारा शासन से प्रसारित निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण महालेखाकार ने अपने अ. शा. पत्र दिनांक 26-9-91 से शासन के ध्यान में पुन: यह बात लाई है कि विभागों द्वारा 1 लाख रुपये या उससे अधिक के क्रय संबंधी स्वीकृति की प्रतियाँ नियमित एवं निश्चित रूप से महालेखाकार को नहीं भेजी जा रही हैं। यदि विभागों द्वारा 1 लाख या अधिक की संविदा का अनुबंध नहीं किया जाता है तो भी उसकी ''निरंक'' जानकारी नियमित एवं निश्चित रूप से महालेखाकार को भेजनी होती है।

2. संविदा भुगतान देयकों का लेखा परीक्षण तभी कारगर रूप से किया जा सकता है जब भुगतान के देयकों के अनुबंधों की प्रतियाँ महालेखाकार को नियमित तथा निश्चित रूप से भेजी जायें। राज्य शासन चाहता है कि म.प्र. वित्त संहिता भाग 1 में इस बाबत् किये गये प्रावधानों का भी विभागों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाये।

3. अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि एक 1 लाख रुपये या उससे अधिक की संविदा अनुबंधों की प्रतियाँ नियमित एवं अनिवार्य रूप से महालेखकार को भेजी जाये। यदि वर्ष के दौरान ऐसे अनुबंध नहीं किये गये हों तो भी ''निरंक'' जानकारी ही महालेखाकार को भेजी जाये।

[वित्त विभाग क्रमांक 513/1428/नि-5/चार/91, दिनांक 30-11-1991]

विषय — (Contract Agreement) संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियां भेजने के सम्बन्ध में।

मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग 1 नियम 21(12) के अनुसार लेखा परीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिये संविदा एवं अनुबंधों की वह जाँच करे। इस जाँच को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि एक लाख या इससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां शासन एवं विभाग तत्काल ऑडिट को भेजा करे। विभागाध्यक्षों को एक लाख से कम रकम के अनुबंधों की सूची महालेखाकार कार्यालय को 10 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी को भेजनी होती है इन सूचियों के आधार पर चयनित संविदाओं की प्रतियाँ फिर जाँच हेतु लेखा परीक्षा में बुलानी है।

प्राय: यह देखा गया है कि बार-बार यह लिखने के पश्चात् भी संविदा एवं अनुबंध की प्रतियां-सूचियां लेखा परीक्षा को प्रदाय नहीं की गई हैं जिससे उनकी जाँच केन्द्रीय लेखा में होना शेष रह जाती है। इस स्थिति से अवगत कराते हुये निवेदन है कि संविदा एवं अनुबंध की प्रतियां-सूचियां शासन एवं प्रत्येक विभाग से अतिशीघ्र भिजवाने के निर्देश जारी किये जावें एवं उन

आदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रदाय करने की कृपा करें।

[महालेखाकार (लेखा परीक्षा) म.प्र. शा.क्र.कास-विविध-ग्रुप III-डी.आई.-257, दिनांक 9-1-89]

नियम-13. सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियां क्रय करने में ऐसे उद्योगों को यथासंभव प्राथमिकता मिले।

[1][13.1 **मूल्य अधिमान्यता** — क्रेता विभाग दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहत एवं राज्य के बाहर स्थित इकाइयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाईयों को 10% (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता प्रदान करेगा।

उदाहरण — यदि राज्य के बाहर स्थित उद्योग इकाई अथवा राज्य में स्थित मध्यम, वृहत इकाई द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रुपये 100/- है एवं राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाई की दरों में न्यूनतम दर रुपये 110/- है तो क्रेता विभाग स्थानीय लघु उद्योग इकाई से सामग्री को क्रय रुपये 110/- में कर सकेगा।

13.2 **क्रय अधिमान्यता** — स्थानीय लघु उद्योग इकाईयों को राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में 5% (पांच प्रतिशत) क्रय अधिमान्यता प्रदान की जायेगी।

उदाहरण — यदि राज्य के बाहर स्थित इकाई द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रु. 100/- एवं राज्य की लघु उद्योग इकाई की दर रुपये 115/- है, तो क्रेता विभाग के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह स्थानीय लघु उद्योग इकाई को यह मौका प्रदान करें कि स्थानीय लघु उद्योग इकाई अपनी दर रु. 110/- कर सके (10 प्रतिशत मूल्य अधिमान्यता सहित)। यदि राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाई ऐसा करती है तो उसे उसकी पूर्ण क्षमता तक प्रदाय आदेश जारी किया जाएगा।]

[2][13.3 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 33(3)/2013-IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (समय-समय पर

---

1. नियम 13.1 एवं 13.2 को अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11(6) दिनांक 3-9-2004 द्वारा इन नियमों में जोड़ा गया और इस नियम का भाग बन गया (दिनांक 3-9-2004 से प्रभावी)।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6), दिनांक 5-7-2017 द्वारा अन्त:स्थापित (दिनांक 5-7-2017 से प्रभावी)।

14, 2021, 12:19

संशोधित) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में स्थानीय इकाई में निर्मित घटक (देशीकरण) का प्रतिशत तय करते हुए नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य एवं यदि आवश्यक हो तो दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।]

नियम 14. अन्य बातें समान रहने पर, आई.एस.आई. तथा आई.एस. ओ. 9000 प्रमाण-पत्र प्राप्त इकाईयों को प्रदाय आदेश देने में प्राथमिकता दी जायेगी।

[1][14.1 राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण-पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को राज्य के बाहर स्थित इकाई की तुलना में 10% (दस प्रतिशत) की अधिमान्यता दी जाएगी। तद्नुसार राज्य की बी.आई.एस. प्रमाण-पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को अपनी दर रुपये 120/- से 110/- तक (10 प्रतिशत मूल्य अधिमान्यता सहित) लाने का अवसर दिया जाएगा और राज्य की बी.आई.एस. प्रमाण-पत्र धारी लघु उद्योग इकाई को उसकी पूर्ण क्षमता तक क्रय आदेश प्रदान किया जायेगा।]

नियम 15. भण्डार क्रय से संबंधित मामलों में उपर्युक्त नियम तथा किसी अन्य नियम के अभाव में डी.जी.एस. एण्ड डी. के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।

[2][15.1 क्रय तथा निविदा आमंत्रण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी —

15.1-क. समाचार पत्रों में जारी निविदा के साथ ही क्रेता विभाग का वेबसाइट का पता भी दिया जाए।

15.1-ख. निविदा का समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ निविदा को विभाग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाए। इससे निविदा में भाग लेने वाली इकाई के लिये यह आवश्यक नहीं रहेगा कि वह विभाग से निविदा प्रपत्र प्राप्त करे। निविदाकार वेबसाइट में उपलब्ध निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करके निविदा में भाग ले सकेगा जिसे मान्यता प्रदान की जायेगी।

15.1-ग. ऐसे निविदाकारों से जिन्होंने वेबसाइट से डाउनलोड करके निविदा भरी है, निविदा फीस निविदा प्रस्तुत करते समय प्राप्त की जायेगी।

---

1. नियम 14.1 अधिसूचना क्रमांक एफ. 20-70/2004/11(6), दिनांक 3-9-2004 द्वारा इन नियमों में जोड़ा गया और इन नियमों का भाग बन गया (दिनांक 3-9-2004 से प्रभावी)।
2. नियम 15, 15.1-क, 15.1-ख, 15.1-ग एवं 15.1-घ को अधिसूचना क्रमांक एफ. 20-70/2004/11(6) दिनांक 3-9-2006 द्वारा इन नियमों में जोड़ा गया और इन नियमों का भाग बन गया।

15.1-घ. कुछ विशेष प्रकृति की सामग्री जिनका ई-टेण्डरिंग किया जा सकता है, ई-टेण्डरिंग के द्वारा निविदा आमंत्रित की जायेगी।]

राज्य शासन आदेश

विषय — छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 के अंतर्गत शासकीय क्रय के संबंध में।

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ शासन के वार्ड विभागों द्वारा "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002" में नियमानुसार निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना तथा नियम 4 के अनुसार बिना निविदा आमंत्रित किए सामग्री का क्रय विभिन्न सहकारी उपभोक्ता भण्डारों/केन्द्रीय भण्डार/नेशनल कन्ज्यूमर को-आपरेटिव फोरम (एन.सी.सी.एफ.)/अन्य सहकारी संस्थाओं से किया जा रहा है। उक्त नियमों में ऐसी संस्थाओं से सीधे खरीदी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सामग्री क्रय करने में अनियमितताएँ होती हैं जिनके कारण आडिट आक्षेप तथा जाँच के विषय बन जाते हैं।

अत: आदेशानुसार निवेदन है कि किसी भी सहकारी उपभोक्ता भण्डारों/केन्द्रीय भण्डार/नेशनल कन्ज्यूमर को-आपरेटिव फोरम (एन.सी.सी.एफ.)/अन्य सहकारी संस्थाओं से सामग्री का क्रय न करे। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

[क्र. एफ. 20-2/2002/(6)/11, दिनांक 26-7-03]

नियम 16. विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी नियम को शिथिल करने की स्वीकृति दे सकेगा तथा इन नियमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा।

परिशिष्ट - 1

[नियम 3 एवं 7]

1. पेन्ट, वार्निश और डिस्टेम्पर
2. [1][* * *]
3. [1][* * *]
4. [1][* * *]
5. स्टेनलेस स्टील एवं ऐल्युमिनियम के बर्तन
6. कृषि उपकरण —
   (अ) बेलचा

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6, दिनांक 5-8-2015 द्वारा विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 21-8-2015 को पृष्ठ 1055-1057 पर प्रकाशित।

Jul 14, 2021, 12:19

(ब) कुदाली, गैंती

(स) फावड़ा

(ड) धमेला

(इ) सब्बल

[1][7. स्टील के पाइप (जी.आई. पाइप/केसिंग पाइप/राइजर पाइप सहित)]

8. [2][* * *]

9. [2][* * *]

10. [2][* * *]

11. [2][* * *]

12. [2][* * *]

13. स्टील रि-रोलिंग मिल के उत्पाद

(क) [2][* * *]

(ख) एंगल

(ग) [2][* * *]

(घ) [2][* * *]

(ङ) [2][* * *]

(च) [2][* * *]

(छ) [2][* * *]

14. [2][* * *]

15. [2][* * *]

16. [2][* * *]

17. सैनेटरी फिटिंग्स

18. [2][* * *]

19. जनरल इंजीनियरिंग

(अ) [2][* * *]

(ब) **बिल्डिंग मटेरियल** — स्टील स्ट्रक्चर्स, ट्रसेस, स्टील डोर, बिन्डों, ग्रिल, स्टोरेज टैंक, रोलिंग शटर, सेन्टरिंग प्लेट, स्टील बेस.फ्रेम, प्रेस्ड डोर व विन्डो

(स) बारबेड वायर, एम.एस. वायर, वायर नेटिंग, लिंक चेन्स

---

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-20/70/2004/11/6, दिनांक 31-3-2010 द्वारा संशोधित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6, दिनांक 5-8-2015 द्वारा विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 21-8-2015 को पृष्ठ 1055-1057 पर प्रकाशित।

(द) शीट मैटल गुड्स — स्टील ट्रंक, बाक्सेस, ड्रम, कंटेनर, बकेट, कार्यालय स्टेशनरी आरटीकल्स — कान्फीडेन्सीअल बाक्सेस , रैक्स आदि

(इ) सभी प्रकार के स्टील फर्नीचर (आफिस व हास्पिटल के लिये)

(फ) सड़क साइन बोर्ड

20. जीप ट्राली, ट्रेक्टर ट्राली, वाटर टैंकर, अनेक साइजों व क्षमतानुसार ट्रालियां
21. केरोसीन स्टोरेज टैंक
22. [1][* * *]
23. [1][* * *]
24. [1][* * *]
25. केमीकल प्रोडक्ट्स —
    (अ) एसिड-सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक
    (ब) लाइम (चूना)
    (स) डिस्टील्ड वाटर
    (द) शेलॉक
    (इ) एलम (फिटकरी)
    (फ) ब्लीचिंग पावडर
    [2][(ज) फिनाईल
    (झ) टिंचर आयोडीन
    (ट) सोडियम हाईपोक्लोराईट]
26. [1][* * *]
27. इलेक्ट्रिक केबल व वायर, एल्यूमिनियम कंडक्टर
28. इलेक्ट्रिकल आयटम्स —
    (क) सीलिंग, टेबल व केबिन फैन्स
    (ख) हीटर
    (ग) विद्युत उपकरण
    (घ) आयरन क्लैड स्वीचेस
    (ङ) कॉपर टेप
    (च) एयर कंडीशनर

---

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6, दिनांक 5-8-2015 द्वारा विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 21-8-2015 को पृष्ठ 1055-1057 पर प्रकाशित।
2. इन नियमों में (ज) फिनाईल, (झ) टिंचर आयोडीन, (ट) सोडियम हाईपोक्लोराईट अधिसूचना क्रमांक एफ. 20-70/2004/11(6) दिनांक 3-9-2004 द्वारा परिशिष्ट-1 में जोड़ा गया।

(छ) इंक्यूवेटर्स
(ज) आटो क्लेव
(झ) एमीटर्स

29. [1][* * *]
30. रूम कूलर डेजर्ट टाइप
31. वाटर कूलर
32. [1][* * *]
33. [1][* * *]
34. [1][* * *]
35. बैटरी
36. [1][* * *]
37. [1][* * *]
38. [1][* * *]
39. लेबोरेटरी इक्वीपमेंट
40. फायर फाइटिंग इक्वीपमेंट —
(अ) होज
(ब) पम्प
(स) फायर एक्सटिंग्यूशर व रिफिल्स
41. वेल्डिंग ट्रांसफार्मर व जनरेटर्स
42. [1][* * *]
43. प्लास्टिक की वस्तुएं — मोल्डेड
(अ) फर्नीचर
(ब) केन
(स) टम्बलर
(द) जार
(इ) बकेट्स
44. [1][* * *]
45. एच.डी.पी.ई. पाइप व फिटिंग्स
46. एच.डी.पी.ई.स्टोरेज टैंक
47. पॉलीयुरेथीन फ्लेक्सीबल, फोम मैट्रेस, पिलो

---

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6, दिनांक 5-8-2015 द्वारा विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 21-8-2015 को पृष्ठ 1055-1057 पर प्रकाशित।

48. पी.वी.सी. पाइप व फिटिंग्स
49. पॉलीप्रोपलीन बैग
50. पॉलीथीन बैग
51. [1][* * *]
52. [1][* * *]
53. [1][* * *]
54. एस्बेस्टस सीमेंट पाइप व फिटिंग्स
55. स्टोन टाइल्स
56. [1][* * *]
57. स्टील सिलेंडर रि-इन्फोंसमेंट आर.सी.सी. पाइप
58. आर.सी.सी. पोल
59. बाउंड्री कि.मी. पोल
60. फोटोकापीयर
61. [1][* * *]

[2][62. कम्प्यूटर एवं एसेसरीज]

63. [1][* * *]
64. [1][* * *]
65. मास्किटो नेट (मच्छर जाली)
66. तारपोलीन/एच.डी.पी.ई. तारपोलीन/एल.डी.पी.ई. व एच.डी.पी.ई. शीट व फिल्म, कैप कवर
67. [1][* * *]
68. [1][* * *]
69. [1][* * *]
70. [1][* * *]
71. [1][* * *]
72. [1][* * *]
73. [1][* * *]
74. [1][* * *]
75. बूट पालिश

---

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6, दिनांक 5-8-2015 द्वारा विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 21-8-2015 को पृष्ठ 1055-1057 पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ.20-70/2004/11/6, दिनांक 31-3-2010 द्वारा संशोधित।

76. [1][* * *]
77. [1][* * *]
78. गमबूट/जूते तथा मोजे
79. [1][* * *]
80. आर.सी.सी.ह्यूम पाईप
[2][81. नि:शक्त जनों के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण
82. [1][* * *]
83. [1][* * *]
84. [1][* * *]
85. क्लोरीन टेबलेट
86. [1][* * *]
87. [1][* * *]
88. [1][* * *]
89. हैण्ड पंप इंडिया मार्क 2 तथा स्पेयर पार्ट्स
90. सबमर्सिबल पंप
91. [1][* * *]
92. ब्रिक्स (फ्लाई ऐश)
93. [1][* * *]
94. ट्री गार्ड
95. [1][* * *]
96. चॉक
97. रोलअप बोर्ड
98. टीन स्लेट
99. [1][* * *]
100. [1][* * *]
101. कंट्रोल पैनल]
[3][103. [1][* * *]

---

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6, दिनांक 5-8-2015 द्वारा विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 21-8-2015 को पृष्ठ 1055-1057 पर प्रकाशित।
2. आयटम 81 से 101 तक परिशिष्ट-1 में अधिसूचना क्रमांक एफ. 20-70/2004/11(6) दिनांक 3-9-2004 से जोड़ा गया।
3. आयटम 103 से 117 तक परिशिष्ट-1 में अधिसूचना क्रमांक एफ. 20-70/2004/11/6, दिनांक 31-3-2010 से जोड़ा गया।

104. आयरन रिमूव्हल प्लांट
105. स्टैण्ड अलोन वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम
106. एल.ई.डी. लाईट
107. सी.एफ.एल. लाईट
108. 12 स्टेशन मल्टीजिम उपकरण
109. फुटबाल गोलपोस्ट
110. व्हॉलीबॉल नेटपोस्ट
111. खो-खो पोस्ट
112. फुटबॉल
113. व्हॉलीबॉल
114. व्हॉलीबॉल नेट
115. डिस्कस (एथलेटिक उपकरण)
116. शॉट (एथलेटिक उपकरण)
117. जावेलीन (एथलेटिक उपकरण)]
[1][118. सिलाई मशीन
119. [2][* * *]]
120. [2][* * *]
121. [2][* * *]
122.
[3][123. एल.सी.डी. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर]
124-128. [2][* * *]
131. [2][* * *]
[4][132. व्हाईट/ब्लैक बोर्ड
133. इलेक्ट्रिक वेइंग स्केल फॉर चाईल्ड
134. मेकेनिकल एडल्ट वेइंग स्केल (प्लेटफार्म)
135. मेकेनिकल बेबी वेइंग स्केल (हेंगिंग)
136. मेकेनिकल चाईल्ड वेइंग स्केल (हेंगिंग)

---

1. 118 एवं 119 जोड़े गये अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6 पार्ट, दिनांक 03-02-2011.
2. अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6, दिनांक 5-8-2015 द्वारा विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 21-8-2015 को पृष्ठ 1055-1057 पर प्रकाशित।
3. 123 जोड़ा गया अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6, दिनांक 04-08-2012.
4. 132 से 137 जोड़े गये अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2014/11-6, दिनांक 07-06-2013.

Jul 14, 2021, 12:20

137. प्री-स्कूल किट (कुल 27 सामग्रियां) :—

स.क्र. (1)	सामग्री का नाम (2)	स.क्र. (3)	सामग्री का नाम (4)
137.1	काउंटिंग फ्रेम	137.2	रिंग एण्ड स्टैक
137.3	क्रेयान कलर्स	137.4	फ्लैनल बोर्ड
137.5	बिल्डिंग मेकर्स	137.6	फिसलपट्टी
137.7	रॉकर	137.8	साईकिल तीन पहिया
137.9	प्लास्टिक बैट बॉल	137.10	रिंग
137.11	कूदने की रस्सी	137.12	जानवरों के मुखौटे
137.13	गुड़िया	137.14	पहिए वाली कार/रेलगाड़ी/हवाई जहाज
137.15	टेनिस बॉल	137.16	बालिंग सेट
137.17	डॉक्टर सेट	137.18	फुटबाल
137.19	झूला लकड़ी का	137.20	पजल सेट 03-04
137.21	लट्टू	137.22	जंपिंग मंकी
137.23	हैड पपेट	137.24	फलौइंग डिस्क
137.25	बालिंग सेट	137.26	फ्लैश कार्ड
137.27	सीटी	137.28	किचन सेट
137.29	ड्राइंग बुक	137.30	हूला-हूप (कमर पर घुमाने वाला रिंग)
137.31	सिलेण्डर बाक्स (लकड़ी का)	137.32	बेसिक शेप बॉक्स
137.33	बच्चों के क्रियात्मक विकास हेतु शैक्षिणक सामग्री	137.34	पिक्टोरियल चार्ट (5X5)
137.35	प्लास्टिक की डेकोरेटिव चटाई (6X6)	137.36	पी.वी.सी.:प्लास्टिक की बड़ी फिसलपट्टी
137.37	प्लास्टिक के बड़े/ छोटे सी-सॉ]	138.	[1][* * *]
139.	व्यायाम उपकरण		
(i)	खिसल पट्टी	(ii)	सी.सा. झूला
(iii)	मेरी गो राउन्ड	(iv)	समनी झूला
(v)	एकल झूला	(vi)	डबल झूला

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6, दिनांक 5-8-2015 द्वारा विलोपित। छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 21-8-2015 को पृष्ठ 1055-1057 पर प्रकाशित।

स.क्र. (1)	सामग्री का नाम (2)	स.क्र. (3)	सामग्री का नाम (4)
(vii)	आर्च स्विंग डबल	(viii)	किट्स गो राउन्ड
(ix)	कम्बाइन सेट	(x)	ओसियन वेव
(xi)	रिवाईविंग प्लेटफार्म	(xii)	वाँकिता बेटल
(xiii)	मिनी हट्स विद स्लाइड	(xiv)	रेकिंग बोर्ड
(xv)	ब्रिज लीडर	(xvi)	स्पाइरल स्लाइड
140.	बायो म्यूजिक डिवाइस		

परिशिष्ट - 2

(नियम 4.4.2)

निविदा सूचना का प्रारूप

निविदा विज्ञप्ति क्र. ..... दिनांक .....

..... की ओर से निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से ..... (सामग्री का नाम) प्रदान करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) रु. ..... नगद भुगतान कर दिनांक ..... के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि..... समय .....

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि..... समय .....

निविदा खोलने की तिथि ..... समय ..... स्थान .....

(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)

विषय : भण्डार क्रय नियम, 2002 के तहत अंतरिम विपणन व्यवस्था।

राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-20-02/2002/ (छः)/11 दिनांक 7-1-2003 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 के नियम 7 के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) का विपणन प्रभाग (परिशिष्ट-1) में उल्लेखित वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों एवं शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा।

चूंकि इस प्रक्रिया में सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) को दर निर्धारण करने में कुछ समय लगने की संभावना है। अतः राज्य शासन ने निम्न अंतरिम व्यवस्था निर्धारित की है, जो कि सीएसआईडीसी द्वारा दर निर्धारण (रेट कांट्रेक्ट) होने तक मान्य होगा :-

1. शासकीय विभागों द्वारा डी.जी.एस. एंड डी. व मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के वर्तमान दरों में जो भी कम हो, उसे मान्य कर सीधे क्रय करने की कार्यवाही करेंगे।

2. इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक तक डी.जी.एस. एंड डी. एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योग, औद्योगिक इकाईयों से ही क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।

3. सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा। प्राप्त किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्त्ता व क्रेत विभाग की होगी। मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे। विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा।

4. निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियाँ महालेखाकार कार्यालय को भेजना- वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराए गए कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जाँच करे। अतः रुपये 1 लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियाँ उन्हें प्रेषित की जायेगी।

5. सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियाँ क्रय करने में ऐसे उद्योग को यथासंभव प्राथमिकता मिले।

6. अन्य बातें समान रहने पर आई.एस.आई. तथा आईएसओ 9000 प्रमाण-पत्र प्राप्त इकाईयों को प्रदाय आदेश देने में प्राथमिकता दी जावेगी।

7. शासकीय विभागों के विभाग प्रमुख स्तर पर सामग्री के क्रय हेतु क्रय समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) के अधिकारी भी सदस्य के रुप में रहेंगे तथा प्रदायकर्ता के चयन का निर्णय इस क्रय समिति द्वारा किया जायेगा।

8. सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) द्वारा सामग्री विशेष की दर जारी दिनांक से यह उस सामग्री के लिए अंतरिम व्यवस्था स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

[वाणिज्य एवं उद्योग एवं सा.उ. वि. क्र. एफ-20-02/2002/(छः):11, दिनांक 14-11-2003]

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के खण्ड 4 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है

खंड 4 : संविदाएँ

सामान्य सिद्धान्त

नियम 20. कोई भी प्राधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा अथवा राज्य शासन के आदेशों

के अधीन जब तक ऐसा करने के लिये प्राधिकृत न किया गया हो, कोई संविदा या करार नहीं कर सकता है।

विभिन्न प्रकार की संविदाओं और सम्पत्ति हस्तान्तरण के अधिकार जो राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 299 का प्रयोग करते हुए, विभिन्न अधिकारियों को प्रदत्त किये गये हैं, मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका में दिये गये हैं।

इन अधिकारियों के अधिकारों की सीमा क्या होगी तथा किन शर्तों पर इन अधिकारों का प्रयोग किया जाए तथा इन संविदाओं से संबंधित सामान्य प्रक्रिया जैसे निविदाओं को बुलाना और स्वीकार करना, इत्यादि से संबंधित शासन के पूरक आदेश विभागीय नियमों में अंतर्विष्ट हैं।

नियम 21. राज्य की संचित निधि से व्यय जहाँ अंतर्ग्रस्त है वहाँ ठेका या करार करने वाले प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित सिद्धान्त होंगे —

(1) संविदा की शर्तें संक्षिप्त व निश्चित होनी चाहिये तथा अस्पष्टता के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये जिससे उनका गलत ढंग से अर्थ न लगाया जा सके।

(2) जहाँ तक संभव हो, संविदा के प्रारूप को अंतिम रूप देने के पूर्व उस पर कानूनी एवं वित्तीय सलाह प्राप्त की जाना चाहिये।

(3) संविदा के लिये मानक प्रपत्रों को ही अपनाना चाहिये। जहाँ तक संभव हो शर्तें पूर्णरूपेण पूर्व परीक्षित हों।

(4) करार में तय की गई शर्तों में सामान्य परिस्थितियों में करार करने वाले प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। किसी संविदाकार को संविदा की शर्तों के बाहर अथवा स्वीकृत दर से अधिक राशि की क्षतिपूर्ति आदि वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिकृत नहीं की जाना चाहिये।

(5) ऐसी संविदा जिसकी शर्तें अनिश्चित अथवा अपूर्ण हों बिना वित्त विभाग की सहमति के नहीं करना चाहिये।

(6) जहाँ व्यावहारिक तथा लाभदायक हो वहाँ संविदा केवल खुली निविदाओं द्वारा ही बुलाना चाहिये। जिन प्रकरणों में निम्नतम संविदा स्वीकृत न की जा सके उन प्रकरणों में ऐसा न करने के कारणों को भी अभिलिखित किया जाना चाहिये।

(7) निविदा को स्वीकृत करते समय अन्य बातों के अलावा निविदाकर्ता की वित्तीय स्थिति (व्यक्ति या फर्म जो भी हो) को भी ध्यान में रखना चाहिये।

(8) जिन मामलों में लिखित करार आदि नहीं किया गया है उन मामलों में पूर्ति आदेश जब तक कि कम से कम मूल्य के बारे में लिखित में न ले लिया गया हो, नहीं दिया जाना चाहिये।

(9) संविदा में ठेकेदार को दी जाने वाली शासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रावधान अवश्य करना चाहिये।

(10) 5 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाली संविदा में यह उपबंध बिना शर्त अवश्य किया जाना चाहिए कि तत्संबंध में 6 मास का नोटिस देकर कभी भी संविदा को भंग अथवा निरस्त किया जा सकता है।

(11) ठेकेदार के नजदीकी रिश्तेदार की प्रतिभूति सामान्यत: स्वीकार नहीं की जाना चाहिये। ऐसी प्रतिभूति तभी स्वीकार की जा सकती है जब स्वीकृतकर्ता अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि ठेकेदार के नजदीकी रिश्तेदार की सम्पत्ति अपनी है तथा अलग है, इस आशय का एक शपथ-पत्र भी लेना चाहिये।

(12) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसके निर्देश पर कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों को संविदाओं की जाँच करने का अधिकार है। उन्हें यह भी अधिकार है कि वह ऐसे प्रकरण जहाँ स्पर्धी निविदाएँ नहीं बुलाई गई अथवा जहाँ ऊँची निविदाएँ स्वीकृत की गई हैं अथवा अन्य प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएँ की गई हैं, उच्च अधिकारी के ध्यान में लायें।

राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) लागू करना :-

राज्य शासन द्वारा प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी खुली निविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शासन के सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, मंडलों, निकायों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसे सामग्री एवं सेवा के प्रोक्योरमेंट, सरकारी नीलामी तथा निर्माण कार्य (works contract) संबंधी निविदा में परिशिष्ट (Annexure) के रुप में शामिल करना होगा।

2. सत्यनिष्ठा संधि का स्वरुप - (1) सत्यनिष्ठा संधि सार्वजनिक क्षेत्र के क्रेता (Buyer) एवं निजी क्षेत्र के विक्रेता (Bidder-बोलीदाता) के बीच बीड एवं अनुबंध के पूर्व (pre-bid, pre-contract) की जाने वाली एक तरह की सहमति है, जिसके द्वारा दोनों पक्ष यह मान्य करते हैं कि प्रोक्योरमेंट में किसी भी स्तर पर अनुबंध हासिल करने के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में न तो रिश्वत लेंगे या देंगे और न ही किसी अन्य भ्रष्ट माध्यम का सहारा लेंगे।

3. सत्यनिष्ठा संधि लागू करने का उद्देश्य - (1) प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में क्रेता एवं निविदा कर्ता पर समुचित उत्तरदायित्व सौंपते हुए पारस्परिक सन्निष्ठा की नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(2) प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को और स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

(3) प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर क्रय द्वारा शासन का आर्थिक हित सुनिश्चित करना।

(4) लोक सेवकों को लोककार्य में पारदर्शिता के प्रति सचेत करना।

(5) शासन के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ाना।

4. सत्यनिष्ठा संधि के मुख्य तत्व - (1) यह सार्वजनिक क्षेत्र के क्रेता (Buyer) जो सामग्री आपूर्ति, लोक निर्माण, कन्सलटेंसी या किसी सेवा अनुबंध, शासकीय नीलामी के लिये खुली निविदा आमंत्रित करते हैं तथा निजी क्षेत्र के प्रतिभागी (bidder), जो निविदा करते हैं, के बीच किया जाएगा।

(2) इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का क्रेता यह वचन (Undertaking) देता है कि उसके अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रुप में रिश्वत अथवा उपहार की मांग नहीं करेंगे न प्राप्त करेंगे तथा उनके द्वारा उल्लंघन की स्थिति में समुचित दण्ड के भागी होंगे।

(3) सभी बोलीदाता यह वचन देंगे कि संदर्भित अनुबंध/निविदा के संबंध में न तो उन्होंने रिश्वत दिया है न देंगे और उल्लंघन की स्थिति में समुचित दण्ड के भागी होंगे।

(4) सभी बोलीदाता यह वचन देंगे कि उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/एजेंट, विदेशी प्रिंसिपल/सहयोगी का नाम एवं पता तथा उन्हें किये गये सभी भुगतानों का खुलासा किया जायेगा।

(5) बोलीदाता द्वारा बीड प्रस्तुत करते समय या अनुबंध के पहले किसी भी स्तर पर क्रेता के अधिकारी, उसके परिवार या किसी प्रतिनिधि को किये गये किसी भी प्रकार के भुगतान तथा बदले में प्राप्त की गई सेवा की जानकारी उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) बोलीदाता यह वचन देगा कि प्रस्तावित दर से कम दर पर उसने समरुप उत्पाद हाल ही में किसी अन्य संस्थान को नहीं उपलब्ध कराया है।

5. स्वतंत्र बाहरी मानीटर्स (Independent External Monitors) - (1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सत्यनिष्ठा संधि की व्यवस्था का अनुपालन क्रेता एवं विक्रेता द्वारा समुचित रुप में किया जा रहा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बाहरी मानीटर्स का प्रावधान किया जाएगा। ये स्वतंत्र बाहरी मानीटर्स इस व्यवस्था के लिए निगरानी का कार्य करेंगे।

(2) इन्हें प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों जैसे कि परियोजना प्रस्ताव का निर्माण, बोली की प्रक्रिया, अनुबंध प्रदाय करना एवं निर्माण के समय प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों/सूचनाओं का अवलोकन करने का अधिकार होगा।

(3) यदि किसी मामलों में प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया पर अनुचित व्यवहार (Unjust Practices) के प्रभाव पड़ने की सूचना प्राप्त होती है तो उसके संदर्भ में मानीटर्स शासन के सक्षम अधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेज सकेंगे।

(4) सामान्यत: मानीटर्स के रुप में शासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे।

(5) स्वतंत्र मानीटर्स की नियुक्ति एवं कार्यक्षेत्र के संबंध में वित्त विभाग द्वारा अलग से निर्देश जारी किया जाएगा।

6. उपर्युक्त निर्णय अनुसार राज्य शासन के विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों/मंडलों, निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले समस्त प्रोक्योरमेंट, सेवा, शासकीय नीलामी एवं निर्माण कार्य (works contract) संबंधी खुली निविदाओं/प्रस्तावों (requests for proposal) के प्रपत्रों के साथ सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधानों का परिशिष्ट शामिल किया जाएगा। इस हेतु सत्यनिष्ठा संधि का प्रारुप निर्धारित किया गया है।

7. कृपया समस्त प्रशासकीय विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं संस्थाओं में उपरोक्त निर्णय का पालन सुनिश्चित कराएं।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 243/वि/नि/चार/2013, दिनांक 6-7-2013]